(भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग–I, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

फा.सं0–ए.49011/6/2009–ई.ए.

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली, 03/2/09 ~~2009~~

संकल्प

कृषि मूल्य आयोग को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के दिनांक 8.1.1965 के संकल्प सं0–6–2/65–सी.ई.) द्वारा स्थापित किया गया था। दिनांक 18 मार्च, 1965 के संकल्प सं0–14028/1/85–आर्थिक प्रशासन के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) कर दिया गया था।

आयोग के विचारार्थ विषय मूल रूप से उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 8.1.1915 के संकल्प में निर्धारित किए गए थे और इन्हें बाद में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के दिनांक 05.3.1980 के संकल्प सं0–14011/2/78–आर्थिक नीति के द्वारा संशोधित किया गया। परिवर्तित हो रहे नीतिगत परिदृश्य में विचारार्थ मुद्दों की समीक्षा की गई है और सरकार ने विचारार्थ मुद्दों को जोड़ने/संशोधित करने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, आयोग के विचारार्थ मुद्दे निम्नवत होंगे:

1. धान/चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज,तोरिया, सरसों, कपास, पटसन, तम्बाकू, तिल, रामतिल, मसूर, कुसुम, खोपरा और ऐसी अन्य जिन्सों जैसा कि सरकार समय–समय पर निर्णय लेगी, की मूल्य नीति पर सलाह देना जिससे कि अर्थ व्यवस्था की समग्र जरूरतों के परिपेक्ष में संतुलित और एकीकृत मूल्य ढांचा विकसित किया जा सके और उत्पादक व उपभोक्ता के हितों का उचित ध्यान रखा जा सके।

2. मूल्य नीति और प्रासंगिक मूल्य ढांचे की सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित का ध्यान रखेगा।

   (क) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आलोक में मोटे तौर पर उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तथा उत्पादन पैटर्न का विकास करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन मुहैया कराये जाने की जरूरत।

   (ख) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किये जाने की जरूरत।

(ग) मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर विशेष कर जीवन यापन लागत, मजदूरी के स्तर, कृषि आधारित उत्पादो के लागत ढांचे और कृषि व कृषि आधारित जिन्सों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर संभावित प्रभाव।

3. आयोग ऋण नीति, फसल और आय बीमा तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे गैर मूल्य उपायों का भी सुझाव दे जो उपर्युक्त एक में निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धियों को सरल व कारगर बनाए।
4. मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों के संबंध में समय-समय पर आवश्यक उपायों का सुझाव देना।
5. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना।
6. जहां आवश्यक हो विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के विभाग की प्रचालित पद्धतियों और लागत की जांच करना, विपणन की लागत को कम करने के उपाय सुझाना तथा विपणन के विभिन्न चरणों के लिए उचित मूल्य की सिफारिश करना।
7. मूल्य की बन रही स्थिति को समीक्षाधीन रखना और जब भी जहां भी जरूरी हो समग्र मूल्य नीति के ढांचे के भीतर समुचित सिफारिशें करना।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित विभिन्न फसलों के संबंध में अध्ययन करना।
9. मूल्य नीति से संबंधित अध्ययनों को समीक्षाधीन रखना और कृषि मूल्यों और अन्य संबंधित आंकड़ों के संबंध में सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था करना तथा उसमें सुधारों का सुझाव देना, तथा मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना।
10. कृषि मूल्यों और उत्पादन से संबंधित ऐसी किन्हीं भी समस्याओं जो सरकार द्वारा समय-समय पर इसे भेजी जाए, पर सलाह देना।
11. संस्तुत गैर मूल्य उपायों को मूल्य सिफारिशों के साथ प्रभावी रूप से समन्वित करना और प्रतिस्पर्धात्मक कृषि सुनिश्चित करना।

आयोग भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम सहित मूल्यों और उत्पादन पर प्रभाव डालने से संबंधित मामलों को देख रही अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी संबंध बनाये रखेगा।

आयोग अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित करेगा। वह सरकारी तथा गैर सरकारी निकायों से अपने कार्य से संबंधित नोट्स, ज्ञापन अध्ययनों के परिणाम आंकड़े तथा अन्य कोई संगत सामग्री मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और उनके साथ विचार विमर्श करेगा।

जब भी जरूरी हो आयोग विभिन्न जिन्सों अथवा उनके समूहों के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(टी0 नन्द कुमार)
सचिव, भारत सरकार

पृष्ठांकन सं0–ए.49011/6/2009–ई.ए.
दिनांक ~~2009~~ 17/2/09

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों , सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों, योजना आयोग, मन्त्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को संप्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(टी0 नन्द कुमार)
सचिव, भारत सरकार

महा प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा।

पृष्ठांकन सं0–ए.49011/6/2009–ई.ए.
दिनांक 2009

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रेषितः–

1. कृषि मंत्री के निजी सचिव
2. कृषि राज्य मंत्री के निजी सचिव,
3. सचिव (कृषि एवं सह.)/सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण) के प्रधान निजी सचिव।
4. कृषि एवं सहकारिता विभाग में मुख्य सलाहकार और सभी अपर सचिवों के प्रधान निजी सचिव।
5. कृषि एवं सहकारिता विभाग के सभी संयुक्त निदेशक।

डी. के. राय

(डी0 के0 राय)
अवर सचिव, भारत सरकार